मेरठ विकास प्राधिकरण

की

72 वीं बोर्ड बैठक

दिनांक : 18-10-2004

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण की 72वीं बोर्ड बैठक दिनांक 18–10–2004 का कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 72वीं बैठक दिनांक 18–10–2004 को आयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में प्रातः 11.30 बजे प्रारम्भ हुई। सर्वप्रथम सचिव द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे :–

1–	श्री राजीव कुमार आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ।	अध्यक्ष
2–	श्री एस0एस0आर्य उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष
3–	श्री चन्द्रभानु जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य
4–	श्री अभय कुमार बाजपेई अपर निदेशक–उद्योग, मेरठ।	सदस्य
5–	श्री अनिल राज कुमार नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।	सदस्य
6–	श्री एस0के0जमां, चीफ कोर्डिनेटर प्लानर (प्रतिनिधि–आयुक्त, एन0सी0आर0)	सदस्य

16/11/04

7–	श्री राजपाल कौशिक सहयुक्त नियोजक (प्रतिनिधि–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0शासन लखनऊ)	सदस्य
8–	श्री वाई0पी0शर्मा अधीक्षण अभियन्ता जल निगम, मेरठ।	सदस्य
9–	श्री एस0के0जैन अधीक्षण अभियन्ता विद्युत–नगर, मेरठ।	सदस्य
10–	श्री सन्तोष कुमार सिंह अपर निदेशक–कोषागार एवं पेंशन	सदस्य
11–	श्री मंगल सैन, पार्षद, नगर निगम, मेरठ।	सदस्य
12–	श्री राजकुमार सिंह पार्षद, नगर निगम, मेरठ।	सदस्य
13–	मौहम्मद अब्बास पार्षद, नगर निगम, मेरठ।	सदस्य
14–	मौहम्मद जाहिद अंसारी पार्षद, नगर निगम, मेरठ।	सदस्य
15–	श्री सतीश कुमार सचिव मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	संयोजक

16/11/04

मद संख्या – 1

प्राधिकरण की 71वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 24–5–2004 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

मेरठ विकास प्राधिकरण की 71वीं बोर्ड बैठक दिनांक 24–5–2004 के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि किसी भी माननीय सदस्य की कोई टिप्पणी प्राप्त नही हुई है, तदोपरान्त सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

मद संख्या – 2

प्राधिकरण की 71वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 24–5–2004 में पारित विभिन्न प्रस्तावों की अनुपालन आख्या ।

प्राधिकरण की 71वीं बोर्ड बैठक दिनांक 24–5–2004 की अनुपालन आख्या से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया, विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिये गयेः–

प्राधिकरण की गंगा नगर आवासीय योजना में अनाधिकृत रूप से निवास कर रहे मेरठ विकास प्राधिकरकण के कर्मचारियों से भवनों किराये के मद में उनके मूल वेतन का 10 प्रतिशत नियमानुसार कटौती की जाये तथा इन भवनों को आवंटियों को आवंटन प्राथमिकता के आधार पर किया जाये। आवंटन के उपरान्त आवंटी द्वारा नियमानुसार देय धनराशि जमा करा दिये जाने के उपरान्त भवन खाली कराकर सम्बन्धित आवंटी को कब्जा दिलाया जाये।

प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजनाओं में अधिगृहीत 68.0 हैक्टेयर भूमि से अभी तक अवैध अतिक्रमण न हटाये जाने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा निर्देश दिये गये कि शीघ्र समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराया जाये। इस कार्य में शिथिलता / लापरवाही बरतने वाले अधिकारी / कर्मचारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करें और उन्हें कोई कार्य न दिया जाये ।

मेरठ में अनियमित रूप से बने बराताघरों के विरूद्ध प्रस्तुत प्रगति आख्या पर असन्तोष व्यक्त किया गया तथा निर्देश दिये गये कि जिन 04 विवाह मण्डपों को अशमनीय बताया जा रहा है उनके विरूद्ध एक सप्ताह में प्रभावी कार्यवाही कर अवगत कराया जाये तथा शेष 5 विवाह मण्डपों के परीक्षण / जांच हेतु श्री एस0के0जमां, चीफ कोर्डिनेटर प्लानर, एन0सी0आर0 मानकों के अनुरूप कार्यवाही किये जाने हेतु अपने विभाग के किसी एक अधिकारी को कुछ समय के लिए अधिकृत कर दें, जिससे कि इन विवाह मण्डपों के अशमनीय भाग को ध्वस्त कराकर, शमनीय भाग से शमन करके उन्हें नियमित किये जाने की कार्यवाही की जा सके। श्री मौहम्मद अब्बास, एवं श्री राजकुमार सिंह सदस्यगण द्वारा अवगत

16/11/04 16/11/04

कराया गया कि कानपुर विकास प्राधिकरण में कतिपय विवाह मण्डपों को कुछ शुल्क लेकर नियमित किया गया है इस परिप्रेक्ष्य में भी विचार कर लिया जाये। अबतक इनके विरूद्ध कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारित कर अवगत कराया जाये।

अनुपालन मद संख्या – 3

प्राधिकरण का वर्ष 2003–2004 का वास्तविक एवं वर्ष 2004–05 का प्रस्तावित आय–व्ययक (बजट)

अवलोकित किया गया।

अनुपालन मद संख्या – 4

मेरठ महायोजना–2021 के प्रारूप पर प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों हेतु गठित समिति की रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण एवं फाईनल महायोजना की स्वीकृति का प्रस्ताव।

बोर्ड के माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मेरठ महायोजना–2021 शासन की स्वीकृति हेतु पत्रांक 336/नियोजन दिनांक 14–9–2004 को प्रेषित की जा चुकी है। विचारोपरान्त निर्देश दिये गये कि शासन स्तर पर शीघ्र स्वीकृति हेतु मुख्य नगर नियोजक प्रयास करें एवं अर्द्धशासकीय पत्र भी भिजवायें।

अनुपालन मद संख्या – 5

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश दिनांक 6–5–2004 के अनुपालन में हर्ष नगर आवासीय योजना के अन्तर्गत अर्जित्त भूमि की वर्ष 2000 में की गयी नीलामी के प्रति उत्पन्न विवाद के फलस्वरूप आवंटी के प्रतिवेदन का निस्तारण।

प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनॉक 24–5–2004 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में महाधिवक्ता (उ0प्र0) से कानूनी राय प्राप्त कर शासन के पत्र संख्या–921/9–आ–1–04–50डी0ए0/04 दिनॉक 4–6–2004 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी, जो निम्नानुसार है।

In such circumstance demand and receipt of the interest amount by the MDA is not justifiable inas much as allottee could not undertake development and construction work due to interim order passed by the Hon"ble Supreme Court. may be for a portion of the allotted land but MDA itself did not

inform the effect and impact of the interim order of the Hon"ble Supreme Court dated 23-4-2002.

In such situation, amount received by the MDA as interest till 16-12-2003 from the allottee is not justified. Beyond this period interest on instalment for the land allotted except 2004.46 Sq.Mtr. could be imposed and recovered from the allotee.

प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया एवं सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि महाधिवक्ता से प्राप्त राय के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये।

अनुपालन मद संख्या – 6

गंगा नगर विस्तारीकरण योजना में प्रभावित कृषकों को अतिरिक्त प्रतिकर दिये जाने विषयक गंगा नगर आवासीय योजना में हुए समझौते के आधार पर गंगा नगर एक्सटेंशन योजना के अवशेष 204.912 एकड क्षेत्रफल के लिए भी समझौता करने विषयक प्रस्ताव।

शासनादेश दिनांक 16–6–04 के अनुपालन में जिलाधिकारी, मेरठ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा गंगा नगर एक्सटेंशन योजना की अवशेष 204.912 एकड भूमि से प्रभावित काश्तकारों के मध्य दिनांक 5–7–04 को किया गया समझौता बोर्ड के अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया गया।

श्री राजकुमार सिंह, सदस्य, प्राधिकरण बोर्ड द्वारा मत व्यक्त किया गया कि गंगा नगर विस्तारीकरण योजना में प्रभावित कृषकों के साथ हुए समझौते के अनुरूप प्राधिकरण की अन्य योजनाओं के प्रभावित कृषकों के साथ भी समझौते की कार्यवाही की जाये उक्त को दृष्टिगत रखते हुए उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण को समग्र स्थिति पर एवं प्राधिकरण हित पर विचार करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु अधिकृत किया गया।

अनुपालन मद संख्या – 7

गंगा नगर एक्सटेंशन योजना की 204.912 एकड भूमि बल्क में विकय किये जाने हेतु प्रस्ताव।

प्रश्नगत भूमि के बल्क में विकय किये जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा अभी तक किये गये प्रयासों से बोर्ड को अवगत कराया गया।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि गंगा नगर एक्सटेंशन योजना की भूमि को बल्क में विकय करने की प्रकिया प्रारम्भ किये जाने

16/11/04 16-11-04

के फलस्वरूप प्राधिकरण के अधिकारियों के विरूद्ध योजित कन्टेम्प्ट की कार्यवाही के लिए की जिम्मेदारी निर्धारित कर अवगत कराया जाये।

अनुपालन मद संख्या – 8

गंगा नगर आवासीय योजना में स्थित अलोकप्रिय भवनों की प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदित हुडको से प्राप्त मूल्यांकन पर निविदा–सह–नीलामी पद्वति से बल्क में आवंटित भवनों का विववरण।

गंगा नगर आवासीय योजना में स्थित अलोकप्रिय भवनों को पर्याप्त प्रचार–प्रसार कर एवं नियमानुसार निविदा प्रणाली द्वारा बल्क के साथ–साथ पृथक–पृथक विकय करने के भी प्रयास किये जायें।

अनुपालन मद संख्या – 9

विकास प्राधिकरण की योजनाओं में पैरीफेरियल डवलपमेंट/बाहय विकास के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्देश दिये गये कि मेरठ विकास प्राधिकरण में कितने मानचित्र सशर्त स्वीकृत किये गये हैं उनकी सूची तैयार कर प्रस्तुत की जाये तथा ऐसे कितने मामले हैं जिनमें सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा सशर्त मानचित्र की शर्तो का पालन नहीं किया गया है तथा शर्तो का पालन न करने पर उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है, की सूचना से भी अवगत कराया जाये।

अनुपालन मद संख्या – 10

गंगा नगर योजना के अन्तर्गत 132 के0वी0 उपकेन्द्र स्थापित किये जाने हेतु भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन को मूल्य पर दी जाने वाली भूमि की दरें भी सूचित कर दी जायें।

16-11-04

16/11/04

अनुपालन मद संख्या – 11

सैनिक विहार, पल्लवपुरम, श्रद्धापुरी फेस–द्वितीय, शताब्दी नगर एवं डा0 राम मनोहर लोहिया नगर आवासीय योजनाओं में स्थित अलोकप्रिय भवनों के आवंटन का प्रस्ताव।

विचार–विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि गंगा नगर आवासीय योजना में स्थित अलोकप्रिय भवनों की तरह उक्त आवासीय योजनाओं में स्थित अलोकप्रिय भवनों को भी प्रर्याप्त प्रचार–प्रसार कर एवं नियमानुसार निविदा प्रणाली द्वारा बल्क के साथ–साथ पृथक–पृथक विक्रय करने के भी प्रयास किये जायें।

अनुपालन मद संख्या – 12

ग्राम कसेरू बक्सर के खसरा संख्या–2 में आदर्श जोनिंग रेगूलेशन के प्राविधानों के अन्तर्गत ''कृषि'' भू–उपयोग में ''गैस गोदाम'' के निर्माण की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

अनुपालन आख्या से बोर्ड अवगत हुआ।

अनुपालन अनुपूरक मद संख्या – 1

मेरठ नगर की यातायात व्यवस्था को सुचारू व सरल बनाने हेतु मेवला फाटक व कंकरखेडा फाटक पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाने के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन करने के उपरान्त निर्देश दिये गये कि इस प्रकरण में समिति की आख्या आज ही प्रस्तुत कर दी जाये जिससे कि शीघ्र ही अग्रिम अपेक्षित कार्यवाही सम्पादित की जा सके ताकि रेलवे ओवर ब्रिज बनाने का कार्य शीघ्रताशीघ्र प्रारम्भ हो सके।

अनुपालन अनुपूरक मद संख्या – 2

उद्योग पुरम परतापुर में मैसर्स एम0एस0 रबर उद्योग के मानचित्र स्वीकृति में सशर्त जमा विकास शुल्क की कम हुई दरों के अनुसार धनराशि वापिस किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अवलोकित किया गया।

16-11-04

16/11/04

अनुपालन अनुपूरक मद संख्या – 3

वेदव्यासपुरी योजना की 133 हैक्टैअर (328.59 एकड) भूमि बल्क में विक्रय किये जाने हेतु प्रस्ताव।

प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अवलोकित किया गया तथा निर्देश दिये गये कि इस योजना में उपलब्ध भूमि के शीघ्र विक्रय किये जाने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किये जायें।

अनुपालन अनुपूरक मद संख्या – 4

विजन स्टेटमेंट के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का क्रियान्वयन।

इसके अन्तर्गत कितने कार्य पूर्ण किये जा चुके और कितने कार्य किये जाने शेष हैं। बैठक में माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया। शेष कार्यों को धन की उपलब्ध्ता को देखते हुए कार्य पूर्ण कराये जायेंगे।

मद संख्या – 3

गंगा नगर विस्तारीकरण योजना में प्रभावित कृषकों को अतिरिक्त प्रतिकर दिये जाने विषयक गंगा नगर आवासीय योजना में हुए समझौते के आधार पर गंगा नगर एक्सटेंशन योजना के अवशेष 204.912 एकड क्षेत्रफल के लिए समझौता करने विषयक प्रस्ताव।

गंगा नगर एक्सटेंशन योजना के प्रभावित कृषकों के साथ हुए समझौते का बोर्ड द्वारा अवलोकन किया गया विचार–विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण हित में तथा समग्र परिस्थितियों को देखते हुए अन्य योजना के प्रभावित कृषकों से भी निगोशिएशन करने हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया। उसके उपरान्त प्रकरण पुनः प्रस्तुत किया जाये।

मद संख्या – 4

पल्लवपुरम फेस–2 आवासीय योजना के पाकेट–ओ में संस्थागत उपयोग में रिक्त भूखण्ड का उपयोग परिवर्तित करने विषयक प्रस्ताव ।

बोर्ड के सदस्यों द्वारा इस बात को देखते हुए कि प्राधिकरण को इसमें कोई वित्तीय हानि नही है विचार–विमर्श उपरान्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद संख्या –5

ग्राम कसेरूबक्सर मवाना रोड के खसरा संख्या 190 पर वृद्ध सेवा आश्रय में निर्माण के सम्बन्ध में।

श्री आर0एस0गुप्ता पुत्र श्री शिवचरण दास निवासी–बी/25 सम्राट पैलेस, मेरठ द्वारा वृद्ध सेवा आश्रम हेतु प्रस्तुत मानचित्र संख्या 647/04 पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया । विचार–विमर्श के दौरान श्री एस0के0जमां, चीफ कोर्डिनेटर प्लानर, एन0सी0आर0 द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड का भूउपयोग नई महायोजना के अनुसार मिश्रित आवासीय प्रस्तावित है, जिसमें प्रश्नगत भूखण्ड में वृद्धाश्रम हेतु नियमानुसार अनुमति दी जा सकेगी। चूंकि नई महायोजना शीघ्र ही प्रभाव में आने वाली है अतः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत मानचित्र को नई महायोजना लागू होने तक प्रतीक्षा में रख लिया जाये।

16/11/04

16-11-04

2

मद संख्या – 6

श्रद्धापुरी फेस–2 में ग्राम नगलाताशी कासिमपुर के खसरा संख्या 236 रकबा 9–15–14 बीघा भूमि का समायोजन कैथोलिक डायेसिस आफ मेरठ के पक्ष में किये जाने विषयक प्रस्ताव।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी । सदस्यगणों द्वारा जानकारी चाही गयी कि विकास शुल्क के मद में ली जा रही धनराशि की गणना का आधार क्या है इस सम्बन्ध में सहयुक्त नियोजक द्वारा अवगत कराया गया कि यह धनराशि पूर्व में की गयी गणना के आधार पर ही अंकित की गयी है। विचार–विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि इसकी गणना क्या वर्तमान दर पर किया जाना उचित होगा का भी परीक्षण कर लिया जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है वहां से जो भी निर्णय होगा उसके संदर्भ में ही आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखा जाये।

मद संख्या – 7

मेरठ–रूडकी बाई पास मार्ग पर रिलाइंस इण्डस्ट्रीज के मोबाईल स्वीचिंग सैण्टर की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के दौरान श्री एस0के0जमां, चीफ कोर्डिनेटर प्लानर, एन0सी0आर0 द्वारा अवगत कराया गया कि एन0सी0आर0 क्षेत्रीय योजना–2021 (प्रारूप) स्वीकृत हो जाने के उपरान्त उसके प्राविधान के अनुसार ही मोबाईल स्वीचिंग सैण्टर की अनुमति दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।

मद संख्या – 8

मेरठ–रूडकी बाई पास मार्ग पर ग्राम दौराला क्षेत्र में रिलाइंस इण्डस्ट्रीज के पैटोल पम्प के निर्माण की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के दौरान श्री एस0के0जमां, चीफ कोर्डिनेटर प्लानर, एन0सी0आर0 द्वारा अवगत कराया गया कि रीजनल प्लान स्वीकृत हो जाने के उपरान्त ही पैटोल पम्प के निर्माण की अनुमति दिये जाने पर विचार किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि एन0सी0आर0 बोर्ड द्वारा दिये गये सुझाव/निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाये।

16/11/04 16-11-04

मद संख्या – 9

दौराला क्षेत्र की महायोजना तैयार करने विषयक प्रस्ताव ।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या – 10

प्राधिकरण के भूखण्डों के पट्टेदार द्वारा अनुबन्ध समय और बढाये गये समय के भीतर निर्माण में असफल रहने पर पटटे से 5 वर्ष के पश्चात 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से प्रभार की वसूली के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त सैद्धान्तिक रूप से सहमति प्रदान की गयी तथा निर्देश दिये गये कि इस सम्बन्ध में विधिक रूप से भी परीक्षण करा लिया जाये।

उक्त के अतिरिक्त निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजनाओं में डिफाल्टर आवंटियों की सूची तैयार कराकर 15 दिन के अन्दर समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दी जाये तथा दिनांक 20–10–2004 तक डिफाल्टर की प्रथम सूची समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दी जाये एवं सम्बन्धित सम्बन्धित डिफाल्टर्स को 15 दिन का समय प्रदान करते हुए देय धनराशि जमा करने हेतु नोटिस भेजने की कार्यवाही कर ली जाये।

मद संख्या – 11

प्राधिकरण बोर्ड की दिनांक 24–5–2004 को सम्पन्न 71वीं बैठक के मद संख्या–5 में पारित निर्णय के अनुकम में प्रस्ताव।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में महाधिवक्ता के परामर्श अनुसार विवादित भूमि के निमित्त शामिल ब्याज की धनराशि रूपये 12,48,024/– को इस शर्त के साथ माफ किया जाये कि 15 दिन के अन्दर उनके द्वारा देय समस्त धनराशि प्राधिकरण में जमा करनी होगी तथा इसके उपरान्त कोई रियायत अनुमन्य नही होगी।

मद संख्या – 12

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित आवासीय/व्यवसायिक/ आवासीय बल्क/व्यवसायिक बल्क परिसम्पत्तियों के निमित्त आवंटन पत्र के जारी होने के दिनांक से एक माह के अन्दर शत प्रतिशत भुगतान पर आवासीय व व्यवसायिक सम्पत्तियों में देय 5 प्रतिशत की छूट, आवासीय बल्क व व्यवसायिक बल्क

16/11/04 16-11-04

सम्पत्तियों पर देय 8 प्रतिशत की छूट तथा इस एक माह की अवधि में ही निबन्धन कराकर कब्जा प्राप्त कर लेने की शर्त पर देय 2 प्रतिशत छूट की समाप्ति विषयक प्रस्ताव।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि उपरोक्त देय छूट को समाप्त रखा जाये।

मद संख्या – 13

पल्लवपुरम आवासीय योजना में उच्च आय वर्ग भवन संख्या बी/एच–94 के आवंटी श्री धर्मेन्द्र पुण्डीर का आकस्मिक निधन हो जाने के बाद भवन के नामान्तरण में लगे समय के फलस्वरूप दण्ड ब्याज माफी का प्रस्ताव।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष अपने स्तर पर सम्पूर्ण प्रकरण का अवलोकन कर गुण दोष के आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर दें।

मद संख्या – 14

श्रद्धापुरी आवासीय योजना के फेस–2 में माननीय पूर्व सदस्य विधान परिषद श्रीमती राजेश तोमर एवं उनके पति श्री सत्यवीर सिंह के पक्ष में आवंटित उच्च आय वर्ग भूखण्ड संख्या ए–207 व 208 के निमित्त भूखण्डों के निबन्धन पश्चात योजना की निर्धारित दर को आधार मानकर रिफण्ड हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के दौरान माननीय सदस्यगण द्वारा विचार व्यक्त किये गये कि प्रस्तुत प्रस्ताव औचित्यपूर्ण नही है तदानुसार प्रस्ताव निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या – 15

पल्लवपुरम आवासीय योजना में श्रीमती खुर्शीद फातिमा को आवंटित एम0आई0जी0 भवन संख्या ओ–88 में देय ब्याज को माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष अपने स्तर पर सम्पूर्ण प्रकरण का अवलोकन कर गुण दोष के आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर दें।

16/11/04

16/11/04

मद संख्या – 16

श्री विनोद कुमार मित्तल, अवर अभियन्ता को हार्ट सर्जरी पर हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति विषयक प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया तथा निर्देश दिये गये की भविष्य में राज्य सरकार के शासनादेशों के अनुसार यथा लागू निजी चिकित्सालयों में चिकित्सा की स्थिति में एस0वी0पी0जी0आई लखनऊ, पी0जी0आई0 अथवा वहां नियत दर न होने पर ए0आई0आई0एम0एस0 द्वारा नियत दरों के अनुरूप चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की जाये।

मद संख्या – 17

श्रीमती आशालता सिंह के प्रत्यावेदन पर मेरठ विकास प्राधिकरण की गंगा नगर योजना के अन्तर्गत ग्राम कसेरूबक्सर की गाटा संख्या 482 व 483 क्षेत्रफल 1200 वर्ग गज भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को पुनः विस्तार पूर्वक जांच कराकर प्रस्तुत किया जाये।

मद संख्या – 18

मेरठ विकास प्राधिकरण की वेदव्यासपुरी आवासीय योजना में सी0आर0पी0एफ0 द्वारा 50 एकड भूमि के आवंटन की मांग के सापेक्ष 46 एकड भूमि का आवंटन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त विचार व्यक्त किया गया कि सी0आर0पी0एफ0 शासकीय विभाग है अतः उन्हें अवशेष भूमि दे दी जाये एवं यदि कोई धनराशि देय धनराशि की मांग कर ली जाये।

मद संख्या – 19

औद्योगिक सेवा क्षेत्र एवं हाई–टैक टाउनशिप विकसित आदि से सम्बन्धित प्राप्त निम्न शासनादेश जिनकी छायाप्रति संलग्न है, को अंगीगृत कराने के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव में उल्लिखित समस्त शासनादेशों पर विचार–विमर्श उपरान्त अंगीकार किये जाने का निर्णय लिया गया।

16-11-04

16/11/04

मद संख्या – 20

अन्य प्रस्ताव।

1– अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक के एजेण्डें में सदैव मद संख्या –3 पर प्राधिकरण के आय–व्ययक एवं समस्त कार्यकलापों/योजनाओं का विस्तृत विवरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ अवश्य प्रस्तुत किया जाये।

2– श्री राजकुमार माननीय सदस्य द्वारा अवगत कराया गया कि उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा–14ए एवं 51 (3) के अन्तर्गत उपाध्यक्ष द्वारा शक्तियों का प्रतिनिधायन किये बिना ही अधीनस्थों द्वारा दुरूपयोग किया जा रहा है। इसपर निर्देश दिये गये कि उपाध्यक्ष अपने स्तर से परीक्षण कर अग्रेत्तर कार्यवाही शीघ्र करें।

3– श्री मौहम्मद अब्बास, माननीय सदस्य द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरण की पाण्डव नगर, गंगा नगर एवं अन्य योजनाओं में ऐसी कब्जा प्राप्त काफी भूमि पडी है जिसका निस्तारण प्राधिकरण द्वारा नही किया जा रहा है अपितु अवांछनीय व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की चेष्टा की जा रही है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि ऐसी समस्त भूमियों का उपाध्यक्ष अपने स्तर पर परीक्षण करा लें और इनके निस्तारण/विक्रय हेतु अविलम्ब विज्ञापन दिया जाना सुनिश्चित करायें।

4– श्री जाहिद अंसारी, माननीय सदस्य द्वारा अवगत कराया गया कि शहर में पुरानी इमारतों पर अवैध रूप से टावर लगाये जाने की अनुमति मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा दी जा रही है जो जनहित में उचित नही है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि उपाध्यक्ष अपने स्तर से इसका परीक्षण कराकर प्रभावी कार्यवाही करायें।

5– प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति को सुदृढ बनाये जाने के दृष्टिकोण से अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि भवन नियंत्रण अनुभाग के प्रभारियों को अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध अविलम्ब कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जायें तथा शमन के मद में अधिक से अधिक धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा कराये जाने हेतु जोनवार लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाये। निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति न किये जाने की दशा में प्रतिमाह न्यूनतम उपलब्धि प्राप्त करने वाले दो अवर अभियन्ताओं एवं एक सहायक अभियन्ता को जोन के कार्य से मुक्त करते हुए कार्यालय से सम्बद्ध कर दिया जाये।

16/11/04 16-11-04

6— सदस्यों के द्वारा विचार व्यक्त किया गया कि प्राधिकरण की आय बढाने पर विचार क़िया जाये प्रत्येक बोर्ड बैठक मे प्राधिकरण की रिक्त सम्पत्ति की सूची प्रस्तुत की जाये और सम्पत्ति न विक्रय हो सकने के कारणों की भी समीक्षा की जाये।

अध्यक्ष महोदय एवं अन्य माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक का समापन किया गया।

16/11/04

14/11/04